सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 14.09.2023

नाबालिग बालिका को बहला-फुलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले 10,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पीडिता /अपहर्ता को किया सकुशल बरामद।

कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.07.2023 को आजाद नगर टीला निवासिनी महिला द्वारा थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पर सूचना दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री को सिकन्दर नाम का लडका बहला-फुसलाकर ले गया है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पर मु0अ0सं0 228/2023 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया तथा पीडिता /अपहर्ता की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा थाना फ्रेण्ड्स कालोनी से पुलिस टीम का गठन किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 14.09.2023 को थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 228/2023 धारा 363/366 भादवि से संबंधित 10,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त सिकंदर पुत्र कल्लू खान को थाना फ्रेण्ड्स कालोनी क्षेत्रांतर्गत सर्विस रोड से समय 05.10 बजे 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को बरामद किया गया।

बालिका के बयानों तथा पुलिस पूछताछ के आधार पर मु0अ0सं0 228/2023 धारा 363/366 भादवि में धारा 376(2)(1)/342/323/368 भादवि एवं धारा 5/6/16/17 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी, एवं बरामद तमन्चे के आधार पर मु0अ0सं0 287/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सिकन्दर उर्फ आमिर खान पुत्र कल्लू खान निवासी आजाद नगर टीला थाना फ्रेण्ड्स कालोनी इटावा उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 228/2023 धारा 363/366 / 376(2)(1)/342/323/368 भादवि एवं धारा 5/6/16/17 पाक्सो एक्ट थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 287/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह प्रभारी थाना फ्रेण्ड्स कालोनी, उ0नि0 प्रेमचन्द, का0 सोरभ कसाना, का0 बलदेव चौधरी।